न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 53/2011

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. हरिशंकर पुत्र लुम्बाराम		1. मांगीलाल पुत्र भीमाजी
2. नेमीचन्द पुत्र लुम्बाराम जातिगण रावल निवासीगण सरियादेवी सेरी, आहोर तहसील आहोर जिला जालोर		2. जोईताराम पुत्र भीमाजी 3. रामलाल पुत्र भीमाजी 4. जोगाराम पुत्र भीमाजी 5. श्रवण पुत्र भीमाजी 6. वनकी पत्नी भीमाजी 7. जोगेश्वर पुत्र धर्मचन्द जाति रावल निवासीगण सरियादेवी सेरी, आहोर तहसील आहोर, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री बसन्त गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री ओमप्रकाश व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 15/4/19

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/2007 हरिशंकर बनाम मांगीलाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की सह खातेदारी भूमि हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर जो तनकीयात कायम की गई, उन तनकीयात को अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा अपने पक्ष में साबित करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन तनकीयात को किसी भी रूप में विनिश्चय किए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज़ किया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–3 प्रस्तुत किए, जो जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होना प्रमाणित करते हैं, इन दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज किए जाने का कोई आधार नहीं था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजात् को दृष्टिगोचर किए बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई व्यादेश के पाबन्द करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम पंचायत की भूमि है, जिस पर रेस्पोडेन्ट काबिज हैं तथा उक्त भूमि पंचायत के गृहकर रेकर्ड में भी दर्ज हैं। इस आराजी के पास ही पंचायत का आंगनवाडी केन्द्र बना है तथा गोविन्दसिंह राजपूत का पक्का मकान बना हैं। उक्त भूमि किसी भी रूप में कृषि भूमि नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील विवादित आराजी के सीमाज्ञान के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का पुराना कब्जा है। इस सम्बन्ध में पंचायत द्वारा वर्ष 1986 में रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भी दिया हैं। इन समस्त तथ्यों को रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिन पर गौर फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि पंचायत द्वारा वर्ष 1986 के जिस नोटिस का जिक्र रेस्पोडेन्ट द्वारा किया गया है, उक्त नोटिस प्रदर्शित नहीं हैं, कानून वाद में वे ही दस्तावेज पढे जा सकते है, जो प्रदर्शित करवाए गए हो। उक्त दस्तावेज तो रेकर्ड पर ही नहीं है, इस कारण पढने योग्य नहीं है तथा न ही साक्ष्य में ग्राह्य योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट अपीलाण्ट की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। आबादी के पास ही उक्त भूमि आई हुई है, जो कृषि भूमि हैं। उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिसमें रेस्पोडेन्ट को दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करने से रोकने हेतु रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई –

1. आया मौजा आहोर के हाल खसरा नम्बर 916, 920, 920/1353/1363 कुल खातेदारी की है, जिसके प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को इसमें प्रवेश करने से रोका जावे ? जिम्मे वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. आया खसरा नम्बर 920/1353/1363 में से कुछ भूमि कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चकी हैं, इसलिए इस न्यायालय को यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं हैं ? जिम्मे प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

अपीलाण्ट की ओर से इन तनकीयात को अपने पक्ष में साबित करने हेतु मुख्य परीक्षण में गवाह पी0डब्ल्यू0 1 नेमीचन्द पुत्र लुम्बाराम, गवाह पी0डब्ल्यू0 2 हरिशंकर पुत्र लुम्बाराम, गवाह पी0डब्ल्यू0 भंवरदास पुत्र भीकमदास परीक्षित हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–3 प्रस्तुत किए। रेस्पोडेन्ट द्वारा इन तनकीयात को अपने पक्ष में सिद्ध करने हेतु मुख्य परीक्षण में जोईताराम पुत्र भीमाजी तथा वनकी पत्नी भीमाजी परीक्षित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से तनकी संख्या 1 का विनिश्चय करते हुए अन्य तनकीयात के विनिश्चय किए बिना ही वाद को खारिज़ किया गया है, उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि विधिक दृष्टिकोण से एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार प्रत्येक तनकी पर विवेचन किया जाकर उसे विनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक साक्ष्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो समर्थन योग्य नहीं हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–2, जो ग्राम आहोर की जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 है, उसके खाता संख्या 505 जिसके खसरा नम्बर 916, 920, 920/1353/1363 की भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की सह खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 920/1353/1363 में से 0.60 हैक्टेयर भूमि को आबादी में रूपान्तरित करवाया गया है, जिसके खसरा नम्बर 1581/1363 कायम हुए। इस तथ्य को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है, कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की खातेदारी भूमि हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अपनी खातेदारी भूमि में अन्य व्यक्ति को दखल अन्दाजी करने से पाबन्द करावें। इसे न मानने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 व 3 को किसी भी रूप में विनिश्चित ही नहीं किया गया है, जो त्रुटी पूर्ण हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार न्यायालय द्वारा कायम की गई प्रत्येक तनकी का विनिश्चय किया जाना आज्ञापक हैं। इन प्रावधानों की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व किसी भी रूप में पालना नहीं की है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटीपूर्ण होने से समर्थन योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/2007 हरिशंकर बनाम मांगीलाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत मौखिक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण कर तनकीवार विनिश्चय अंकित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली